स्वा० (...), विविध-35/2016— 329 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा— सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक- 12/01/2025

विषयः— "विकसित बिहार के सात निश्चय—1" अंतर्गत 20 (बीस) नवनिर्मित मुख्यमंत्री निश्चय पारामेडिकल संस्थानों के लिए अधिष्ठापित उपकरणों हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 में रू0 14,87,67,489/— (रुपये चौदह करोड़ सतासी लाख सरसठ हजार चार सौ नवासी) मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि "विकसित बिहार के सात निश्चय—1" अन्तर्गत राज्य मे विभागीय राज्यादेश सख्या—933(1) दिनाक—18 07 2016 द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" अतर्गत 33 (तैतीस) मुख्यमत्री निश्चय पारामेडिकल सस्थान एवं छात्रावास निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर, प्रति ईकाई रु0 9,98,00,000/— (रुपये नौ करोड अन्ठानवे लाख) मात्र की दर से कुल रु0 3,29,34,00,000/— (रुपये तीन अरब उन्तीस करोड चौतीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी। इसमें केवल भवन, फर्निचर आदि कार्य ही शामिल रहने के कारण आवश्यक विविध प्रयोगशालाये एवं शैक्षणिक कार्य प्रारभ किये जाने हेतु आवश्यक उपकरण एवं उपस्करों को अधिष्ठापित नही किया जा सका था।

2— इस सबध में नवनिर्मित सरकारी पारामेडिकल संस्थानो एव नर्सिंग सस्थानों हेतु तत्कालिक परिस्थितियो मे आगामी शैक्षणिक नामाकन सत्र प्रारंभ किये जाने की स्थिति को देखते हुए सिविल वर्क पूर्ण कराने एवं आवश्यक उपकरणों को अधिष्ठापित किये जाने का निदेश विभागीय पत्राक—649(1), दिनांक—27 10 2021 के द्वारा निर्माण एजेन्सी को दी गयी। इस क्रम में नवनिर्मित 20 (बीस) पारामेडिकल संस्थानों के शैक्षणिक सत्र आवश्यक उपकरणों को अधिष्ठापित करते हुए प्रारंभ कराये गये थे।

3— निर्माण एजेन्सी (BMSICL) के द्वारा Turnkey Basis पर उक्त सभी संस्थानों मे उपकरणों की आपूर्त्ति एव अधिष्ठापन हेतु निर्गत आपूर्ति आदेश के क्रम मे कुल लागत राशि रु० 14,87,67,489/— (रुपये चौदह करोड सतासी लाख सरसठ हजार चार सौ नवासी) मात्र की मांग अपने पत्रांक—8007, दिनाक—06.12.2024 के द्वारा की गयी है।

4— तद्नुसार "विकसित बिहार के सात निश्चय—1" अंतर्गत 20 (बीस) नवनिर्मित मुख्यमंत्री निश्चय पारामेडिकल संस्थानों के लिए अधिष्ठापित उपकरणों हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर रू0 14,87,67,489/— (रुपये चौदह करोड़ सतासी लाख सरसठ हजार चार सौ नवासी) मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

5— उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा कराया जायेगा। वे निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करायेंगेः—

(क) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना निविदा की शर्तो में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की सुस्पष्ट प्रक्रियाओं के अनुपालन करते हुए की गयी है।

(ख) कार्य को वाछित गुणवत्तायुक्त उपकरणो एव उपस्करों को गारंटी के शर्त्त के साथ अधिष्ठापित कराने के साथ सभी कार्य नियमानुकुल सम्पन्न कराये जाने की जवाबदेही बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, पटना की होगी।

(ग) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा इस संबंध में प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा ।

6– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17 04.98, 2880/वि0(2), दिनाक–06 05 06, 2938/वि0(2), दिनाक–08 04 08, 3758/वि0, दिनाक–31 05 2017 एव 12888/वि०, दिनाक–03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

7– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

8– इस राशि के व्यय का वहन माग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–050–भूमि–0103–नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल सस्थान हेतु, विपत्र कोड–20–4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 52–02 मशीने एव उपस्कर–अन्य ईकाई मे द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

9– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID---- मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे और ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र मे तैयार कर प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराएँगे।

10– बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत सरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे ।

11– प्रारूप में सहायक आतरिक वित्तीय सलाहकार/आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति स0स0– 1/विविध–35/2016 के पृष्ठ–51/टि0 पर प्राप्त है।

12– प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक–19.12.2024 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापांक–301(7), दिनांक–19.12 2024 के क्रम संख्या–02 में स्वीकृति प्राप्त है।

13– प्रस्ताव एव प्रारूप में माननीय मत्री, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

14– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15– यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

2.1.25

(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:–1/विविध–35/2016 - 329 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक–02/01/2025

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिलाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एव 7/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2.1.25

सरकार के अपर सचिव।